न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 85/2010

निर्णय दिनांकः– 02.06.2014

उनवान

मोरपाल पुत्र भैंरू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1. मोती पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
2. काना पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
3. किशना पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
4. मुकेश पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
5. सत्यनारायण पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
6. बद्री पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
7. शंकर पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
8. बाबू पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
9. देवकरण पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
10. छोटू पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
11. गुलाब पत्नि प्रभू जाति गुर्जर निवासी आली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.

–प्रतिपक्षीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री के.एल. ठाडा वकील प्रार्थी

श्री प्रेमचन्द जैन वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख.नं. 107/312 रकबा 1.12, ख.नं. 108/313 रकबा 0.22, ख.नं. 122 रकबा 0.15, ख.नं. 164 रकबा 0.08, ख.नं. 223 रकबा 1.36, ख.नं. 107 रकबा 1.77, ख.नं. 121 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 5.07 हैक्टर वाके ग्राम आली तहसील उनियारा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी ख.नं. 225 रकबा 0.05 हैक्टर(गै.मु.चाह) से सिंचित होती है, जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा है, प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी ही उनका एकमात्र जायज वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात को सिंचित करने हेतु उक्त चाह ख.नं. 225 से धोरे बने हुए है, जो प्रार्थी के पूर्वजों के समय से अर्थात 50 वर्षों पुराने है, जिन्हे प्रतिपक्षीगण बन्द करने पर आमादा है, जो विधि विरूद्ध है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 225 रकबा 0.05 हैक्टर(गै.मु.चाह) वाके ग्राम आली तहसील उनियारा में प्रार्थी के 1/2 हिस्से से सिंचित करने में किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नहीं करें, ना उक्त आराजी को सिंचित करने के लिए बने हुए धोरों को बन्द करे या नष्ट करें, ना तो स्वयं और ना जरिये ऐजेन्ट, नौकर, पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण की ओर से श्री प्रेमचन्द जैन अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी ख.नं. 225 रकबा 0.05 है. चाह से केवल मात्र ख.नं. 121, 122 व 223 ही सिंचित होते है, शेष ख.नं. 107/312, 108/313 व 107 बारानी है तथा ख.नं. 164 गै.मु. बाडा है। प्रार्थी को आराजी ख.नं. 225 से बारानी जमीन को सिंचित करने का अधिकार नहीं है, केवल मात्र ख.नं. 121, 122 व 223 को सिंचित कर सकता है, जिसके बारे में कभी प्रतिपक्षीगण द्वारा मना नहीं किया गया। प्रार्थी के उक्त वर्णित आराजीयात को सिंचित करने हेतु कोई धोरे बने हुए नहीं है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं करवा सकता। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, वह अपने हक से महरूम हो जावेंगें, उन्हे बडी हक तल्फी होगी। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। प्रतिपक्षी वकील ने बताया कि प्रार्थी आराजी ख.नं. 121, 122 व 223 की आड में शेष ख.नं. 107/312, 108/313 व 107 बारानी है तथा ख.नं. 164 गै.मु. बाडा को भी सिंचित करना चाहता है। प्रार्थी को आराजी ख.नं. 225 से बारानी जमीन को सिंचित करने का अधिकार नहीं है, केवल मात्र ख.नं. 121, 122 व 223 को सिंचित कर सकता है, जिसके बारे में कभी प्रतिपक्षीगण द्वारा मना नहीं किया गया। अतः न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 वाके ग्राम आली में वादग्रस्त आराजी ख.नं. 107/312, 108/313, 122, 164, 223, 107, 121 कुल किता 7 कुल रकबा 5.07 हैक्टर भैरू पुत्र गोपाल कोम गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन सी.सी. बैंक लिमि. टोंक शाखा अलीगढ दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 वाके ग्राम आली में वादग्रस्त आराजी ख.नं. 225 रकबा 0.05 हैक्टर मोती, काना, किशना पि. भूरा व गेखा बेवा भूरा हि. 4/12 मुकेश सत्यनारायण पुत्र निर्मला पुत्री ज्याना बेवा पांचु हि. 1/12 बिना रहन शंकर बदरी बाबु देवकरण छोटू पुत्र मु. गुलाब बेवा प्रभू हि. 1/12 राहिन अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलीगढ सा. देह खातेदार व भैरू पुत्र गोपाल कोम गुर्जर हि. 1/2 सा. देह खातेदार राहिन सी.सी. बैंक लिमि. टोंक शाखा अलीगढ दर्ज है।

Scanned by CamScanner

पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि प्रार्थी आराजी ख.नं. 121, 122 व 223 की आड में शेष ख.नं. 107/312, 108/313 व 107 बारानी है व ख.नं. 164 गै.मु. बाडा को भी सिंचित करना चाहता है। प्रार्थी को आराजी ख.नं. 225 से बारानी जमीन को सिंचित करने का अधिकार नहीं है, केवल मात्र ख.नं. 121, 122 व 223 को सिंचित कर सकता है, जिसके बारे में कभी प्रतिपक्षीगण द्वारा मना नहीं किया गया। प्रकरण प्रतिपक्षीगण के पक्ष में प्रबल है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 02.06.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हिम्मत सिंह
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner